कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 127/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.03.2026

थाना- फूलपुर, जनपद आजमगढ़

➡ **₹25,000/- का इनामिया व गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**

➡ **अवैध तमंचा .315 बोर व जिन्दा कारतूस के साथ दबोचा गया**

➡ **गोवध जैसे संगठित अपराध में सक्रिय गैंग का सदस्य**

➡ **पुलिस की सक्रियता से वांछित अपराधी की गिरफ्तारी**

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरन पाल सिंह के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष फूलपुर के नेतृत्व में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आजमगढ़। दिनांक 20.01.2026 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट बनाम सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी सतुवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ सहित अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलीम की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण- **दिनांक 29/30.03.2026 की रात्रि** में थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द मय पुलिस टीम क्षेत्र में तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर **किठावें नहर पुलिया के पास** घेराबंदी कर अभियुक्त सलीम पुत्र इम्तियाज उम्र करीब 25 वर्ष को **समय लगभग 00.17 बजे** गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर एवं एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। इस संबंध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-

➡ अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गैंग के साथ मिलकर गोवध जैसे संगठित अपराध करता है।

➡ अपने बचाव हेतु अवैध असलहा रखता है तथा विरोध होने पर लोगों को धमकाकर फरार हो जाता है।

पंजीकृत अभियोग-

➡ मु0अ0सं0 19/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

➡ मु0अ0सं0 115/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

➡ सलीम पुत्र इम्तियाज निवासी ग्राम सतुवहिया थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी-

➡ 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

➡ अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों में ***गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कई अभियोग*** पंजीकृत हैं।

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा थाना**	**जनपद**
1.	13/25	3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम अहरौला आजमगढ़	
2.	20/25	3/5ए/8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्ररता अधि0 कप्तानगंज आजमगढ़	
3.	215/25	3/5/8 गोबध निवारण अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर आजमगढ़	
4	19/26	3(1)/2(ख)(17) युपी गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ	
5	115/26	3/25 आर्म्स एक्ट फूलपुर आजमगढ	

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द, उ0नि0 अजीज खान, हे0का0 दीपक पाण्डेय, का0 नीरज यादव, का0 विनोद यादव, का0 राजकुमार पटेल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।